



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2010/श्रावण 14, 1932

No. 437]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2010/SHRAVANA 14, 1932

कार्यिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 659(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति, संघ के मामलों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पदों में पे बैंड-1 और पे बैंड-2 में आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती होने वालों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं को विनियमित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् —

1. **शिक्षण नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को पे बैंड-1 और पे बैंड-2 में केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पद, आशुलिपिक ग्रेड (सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयुक्ति.**—ये नियम केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा और सिविल पदों में पे बैंड-1 और पे बैंड-2 के ग्रेड में आशुलिपिक सभी पदों पर लागू होंगे जिसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है।

3. **आशुलिपिकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.**— केन्द्रीय सिविल सेवा में पे बैंड-1 में अथवा पे बैंड-2 में आशुलिपिकों ग्रेड के पदों से संबंधित किसी भर्ती नियम में समाविष्ट किसी विषयवस्तु और पदों के बावजूद, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की पद्धति द्वारा आशुलिपिकों के ऐसे पदों में नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :—

“(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास अथवा समकक्ष अर्हता;

“(ii) कौशल परीक्षा मानक :

(क) पे बैंड-1 में आशुलिपिकों हेतु :

श्रुतलेखन : 10 मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट की दर से।

प्रतिस्लेखन : कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिन्दी)।

(ख) पे बैंड-2 में आशुलिपिकों हेतु :

श्रुतलेखन : 10 मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की दर से।

प्रतिस्लेखन : कम्प्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी), 55 मिनट (हिन्दी)।”

[फा. सं. एबी. 14017/08/2010-स्था. (आरआर.)]

ममता कुन्दा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2010

G.S.R. 499(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (3) of article 143 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules regarding the educational and other qualifications required for direct recruits to the posts of Stenographer in Pay Band-1 and Pay Band-2 in the Central Civil Services and Civil posts in connection with the affairs of the Union, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Civil Services and Civil posts, Stenographer grades in Pay Band-1 and Pay Band-2 (Educational and other Qualifications for Direct Recruitment) Rules, 2010.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to all posts of Stenographer in the grade of Pay Band-1 and Pay Band-2 in the Central Civil Services and Civil posts under the Central Government and under the Indian Audit and Accounts Department for which direct recruitment is made through the Staff Selection Commission.

3. Educational and other qualifications required for persons to be eligible for direct recruitment to the post of Stenographers.—Notwithstanding anything contained in any recruitment rules relating to the posts of Stenographers in Pay Band-1 or in Pay Band-2 borne on the Central Civil Services and Civil posts, the educational and other qualifications required for persons to be eligible to be appointed to such post of Stenographers by the method of direct recruitment through the Staff Selection Commission shall be as under :—

(i) 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University;

(ii) Skill Test Norms :

(a) For Stenographers in Pay Band-1:

Dictation : 10 minutes @ 80 words per minute.

Transcription : 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on computers.

(b) For Stenographers in Pay Band-2:

Dictation : 10 minutes @ 100 words per minute.

Transcription : 40 minutes (English), 55 minutes (Hindi) on computers".

[F. No. AB. 14017/08/2010-Est. (RR)]

MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.